भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1424

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

माधव मेनन समिति की रिपोर्ट

1424. श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपराधिक न्याय प्रणाली के संबंध में माधव मेनन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सिफारिशों को राज्यों की टिप्पणी हेतु उन्हें अग्रेषित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों से इस संबंध में क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क): जी, हां।

(ख): समिति ने आपराधिक न्याय प्रणाली को तेज, निष्पक्ष और कम खर्चीला बनाने के लिए दंड विधि एवं क्रिया-प्रणाली, पुलिस संस्थानों, अभियोजन, न्यायपालिका एवं कारागार आदि के क्षेत्रों में नीतिगत बदलाव लाए जाने की सिफारिश की है। समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं:-

(i) पीड़ितों को सशक्त बनाना और चोट के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था।

(ii) उद्देश्यपरक सजा के लिए दंड संबंधी दिशा-निर्देश बनाना।

(iii) अपराधों का पुनर्वर्गीकरण और आपराधिक कृत्यों के तर्कसंगत वर्गीकरण के माध्यम से क्रिया-प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाना।

(iv) दांडिक न्याय सांख्यिकी, अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना करना।

(v) संघ और राज्यों में दांडिक न्याय बोर्ड की स्थापना करना।

.....2/-

(vi) राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना करना।

(vii) अपराध में कमी लाने और अवसंरचना विकास के वित्तपोषण के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाना।

(viii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति के अनुरुप दांडिक न्याय में सुधार करना।

(ix) कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सकारात्मक कार्य करना।

(ग): जी, हां।

(घ): 19 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समिति द्वारा सुझाए गए अनेक सुधारों से संबंधित सिफारिशों का स्वागत किया है। तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010 का परीक्षण करते समय गृह मंत्रालय से संबंद्ध विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 146वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि टुकड़ों में संशोधन लाने के बजाय देश में दांडिक न्याय प्रणाली को चुस्त एवं दुरुस्त बनाने के लिए दांडिक न्याय प्रणाली की गहन समीक्षा की जानी चाहिए और कम्पोज़िट प्रारुप विधायन पेश किया जाना चाहिए।

समिति की सिफारिशों के मद्देनज़र तत्कालीन माननीय गृह मंत्री ने दंड विधि के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए उनका परीक्षण करके एक संपूर्ण रिपोर्ट देने हेतु विधि आयोग से अनुरोध करने के लिए तत्कालीन कानून एवं विधि मंत्री से अनुरोध किया था ताकि विभिन्न कानूनों, अर्थात्, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम आदि में व्यापक संशोधन किये जा सकें। यह भी अनुरोध किया गया था कि विधि आयोग मालीमथ समिति तथा माधव मेनन समिति और इस संबंध में बनी अन्य समितियों/आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों को भी संज्ञान में लेगा।

विधि आयोग ने दिनांक 13.08.2014 के अपने पत्र के माध्यम से इस मंत्रालय को सूचित किया है कि उन्होंने 'दांडिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा' के संबंध में अध्ययन शुरु कर दिया है और इस विषय पर परामर्श पत्र जारी करने की प्रक्रिया में है।